BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
CENTRAL ZONE, BHOPAL

Original Application No. 154/2023

IN THE MATTER OF:

Applicant Navendu Mishra

Versus

Respondents Municipal Council Seoni & Ors.

I N D E X

S. No.	Particulars	Annexure	Page No.
1.	Reply on behalf of Respondent No. 3, District Collector, Seoni		02-07
2.	Affidavit		08
3.	Copy of Letter dated 28.02.2024 along with Minutes of Meeting dated 26.02.2024 and Proposal dated 23.02.2024	**R3/1 (Colly.)**	09-17

Date: 15.03.2024
Place: Bhopal

Through Counsel
Prashant M. Harne
Standing Counsel
State of Madhya Pradesh

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, CENTRAL ZONE, BHOPAL

Original Application No. 154/2023

IN THE MATTER OF:

Applicant Navendu Mishra

Versus

Respondents Municipal Council Seoni & Ors.

REPLY ON BEHALF OF RESPONDENT NO.3, DISTRICT COLLECTOR SEONI

IT IS MOST RESPECTFULLY SUBMITTED HEREINUNDER :-

1. That, present application was filed by the applicant, contending violation of Rule 4 of Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2017 (for brevity "Rules of 2017"), on the ground that respondent No.1, is carrying out illegal, permanent construction in Dul Sagar Lake of Seoni City. The Hon'ble Tribunal was pleased to constitute the Committee and the same has submitted Spot Panchnama Report and found various deficiencies, which are specifically mentioned in Order dated 08.01.2024, of this Hon'ble Tribunal.

2. That, at very outset the humble respondent submits its unconditional apology in case this Hon'ble Tribunal finally comes to hold that while undertaking the process of Beautification of Dal Sagar Talab, any unintentional violation is undertaken.

3. It is submitted that Dal Sagar Lake also known as Dal Sagar Talab is a manmade lake built in the 16th century by Gond Raja Dalpat Shah. It is further stated that the lake was constructed for the primary purpose of supporting irrigation in the surrounding area by King Dalpat Shah. It is further stated that the Dal Sagar Lake is a still water lake with the only source of replenishment through rainwater.

4. That the construction of a statue/monument of Raja Dalpat Shah Ji in the small island within Dalsagar Lake for beautification purposes and further the same recognizes Dalsagar Lake as the heart of the cityand the contributions of Raja Dalpat Shah to the presently prospering city of Seoni. That the Municipal Council, Seoni, has obtained no objection certificates from all relevant departments and is adhering to the guidelines

issued by the Department of Culture, Government of Madhya Pradesh, as per the letter dated 09.02.2012. It is stated that presently the pedestal for the statue/monument has been prepared, and the statue of Raja Dalpat Shah Ji has been procured but the same has not been installed.

5. That the Municipal Council, Seoni approved a work plan amounting to INR 156.73 lakhs for the beautification work of Dalsagar Lake under the conservation and development of lakes and ponds scheme for the financial year 2020-21 out of which a grant amount of INR 117.54 lakhs, constituting 75 percent of the total cost, was approved by the State Government and the rest of borne by the Municipal Council, Seoni. Thereafter, to access the island and the statue of Raja Dalpat Shah, tender for a foot-over bridge was awarded to one Mr. Rahul Jain, wherein the contractor has completed the construction of all 19 columns of the footbridge to date and only the construction of the slab remains pending, which is on hold pursuant to the directions of this Hon'ble Tribunal. That a total payment of INR 1,22,06,000.88/- has been evaluated for the ongoing construction works, with a

payment of INR 97,88,640/- already made to the contractor from public exchequer.

6. It is further submitted that as per the proposal received from the Municipal Council dated 23.02.2024, a District-Level Wetland Committee meeting was convened on 26.02.2024, whereupon the committee decided that, in accordance with Rule 4 of the Wetland (Conservation and Management) Rules 2017, as described in the notification of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, dated December 26, 2017, exemptions/permissions should be sought from the state government/central government to undertake proposed activities such as the construction of a footbridge, installation of statues, musical fountain lights, and sound shows in Dalsagar Lake. A copy of Letter dated 28.02.2024 along with Minutes of Meeting dated 26.02.2024 and Proposal dated 23.02.2024 is marked and annexed herewith as **Annexure R3-1 (Colly.)**.

7. It is submitted that Dal Sagar Lake is a still water body dependent solely on rainwater for its replenishment. It is pertinent to note here that to clean the silt and debris

from the lake-bed, the Municipal Council, Seoni has undertaken the work under technical advisement and in pursuance of the goal of cleaning the lake, the old stagnant and dirty water was drained out. It is further submitted that the lake will be replenished in the forthcoming monsoon season with fresh water. That the Municipal Council, Seoni under the directions of the District Administration is taking all the necessary steps to beautify the banks of the lake by undertaking extensive plantation. It is also submitted that as on date no untreated water or any waste is discharged in the lake and the District Administration is working rigorously to restore Dal Sagar Lake to its historical might.

8. It is further prayed from this Hon'ble Court that if the already done construction is directed to be demolished, then the same shall cause a huge loss to public exchequer to the tune of INR 97,88,640/- already paid to the contractor along with the cost of demolition, and most of all the loss to the residents of Seoni. It is pertinent to mention here that the District-Level Wetland Committee has filed the proposal for exemptions/permissions from the state government/

central government to undertake activities such as the construction of a footbridge, installation of statues, musical fountain lights, and sound shows in Dalsagar Lake. The answering respondent undertakes that no construction or any other activity shall be carried out unless and until the permission from the Central Wetland Committee is granted.

9. In view of the above submissions, the answering respondent is not filing a para-wise reply, however the same shall be filed if the Hon'ble Tribunal may so direct.

10. Hon'ble Tribunal may kindly be pleased to take the aforesaid reply on record. An Affidavit in support is filed herewith.

Date: 15.03.2024
Place: Bhopal

Through Counsel
Prashant M. Harne
Standing Counsel
State of Madhya Pradesh

NOTARIAL STAMP Rs.50/-
14 MAR 2024

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, CENTRAL ZONE, BHOPAL

Original Application No. 154/2023

IN THE MATTER OF:

Applicant Navendu Mishra

Versus

Respondents Municipal Corporation Seoni & Ors

NOTARY • Deepak Agrawal Advocate & Notary Seoni Distt Seoni Reg. No M.P. 35/05/08/21-B(2)13 SEONI • GOVT. OF MADHYA PRADESH

SPECIAL ADHESIVE

AFFIDAVIT

I, Poorvi Tiwari, W/o Shri Satish Tiwari, age about 42 years, Deputy Collector, office at Collectorate, Seoni, M.P.-480661 do hereby solemnly affirm on oath as under:

1. That I am Officer in Charge for State of Madhya Pradesh in the present matter, and am fully conversant with the facts of the case and hence competent to swear on this affidavit.
2. That I am filing a Reply in the aforementioned matter before the Hon'ble Tribunal the contents of which are true and correct and no material fact has been concealed.
3. That the contests of the Reply are true and correct and no material fact is concealed or supressed.

NOTARY • Deepak Agrawal Advocate & Notary Seoni Distt Seoni Reg. No M.P. 35/05/08/21-B(2)13 SEONI • GOVT. OF MADHYA PRADESH

DEPONENT

VERIFICATION

I the above-named deponent do hereby verify that the contents of the affidavit above true and correct.

Signed and verified on this 14 Day of 03 2024 at Seoni (MP)

DEPONENT

... Poorvi Tiwari W/o Satish Tiwari ... about 42 Years Profession ... this Affidavit ... A.M./P.M. at 4.024 ... I Administered Oath under Section 8 (B) of Notaries Act 1952 (56 of 1952) to the said Shri Poorvi Tiwari who Swore (or solemnly affirmed) to the Contents of this Affidavit ... by Examining the deponent that ... the contents (of this) affidavit which were read over, translated and explained to him/her. The said Poorvi Tiwari Personally known to me or was identified by Shri Bhimrao Bansod Profession ... Seoni ... Resident of ...

Received Rs. 15.00

Signature of Notary

14 MAR 2024

गवाह
श्रीमाबराव पिता लक्ष्मण बंसोड़
हीरो वार्ड सिवनी

(का.) 07692–22044
(नि.) 07692–220301
(फैक्स) 07692–220900

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, सिवनी (म.प्र.)

सिवनी, दिनांक 28 / 02 / 2024

पत्र क्रमांक / 864 / जि.श.वि.अभि. / 2023–24

Annexure R3/1
(Colly.)

प्रति,

प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
पर्यावरण विभाग, भोपाल

विषय :– नगर पालिका सिवनी स्थित दलसागर तालाब में फुटब्रिज, मूर्ति स्थापना, म्युजिकल फाउन्टेन लाईट एवं साउण्ड शो के कार्यो को कराने हेतु वेट लैंड संरक्षण नियम 2017 के पैरा– 4 के शर्तो से छूट प्रदान करने एवं कार्य. को कराने की अनुमति प्रदान करने के संबंध में ।

संदर्भ :– नगर पालिका सिवनी की प्रेसीडेन्ट इन कौसिंल की बैठक दिनांक 23 / 02 / 2024 के प्रस्ताव क्रं.–01 में लिये गये निर्णय एवं जिला वेट लैंड संरक्षण समिति की बैठक दि. 26 / 02 / 2024 में लिये गये निर्णय ।

––000––

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि, नगर पालिका सिवनी क्षेत्रान्तर्गत स्थित दलसागर तालाब में फुटब्रिज, मूर्ति स्थापना, म्युजिकल फाउन्टेन लाईट एवं साउण्ड शो के कार्यो को वेट लैंड संरक्षण नियम 2017 के पैरा– 4 के शर्तो से छूट प्रदान करने एवं कार्य को कराने की अनुमति प्रदान करने हेतु नगर पालिका की प्रेसीडेन्ट इन कौसिंल की बैठक दिनांक 23 / 02 / 2024 के प्रस्ताव क्रमांक– 01 के द्वारा जिला वेट लैंड संरक्षण समिति के माध्यम से राज्य सरकार / केन्द्र सरकार से स्वीकृति हेतु अनुशंसा की गयी है ।

नगर पालिका से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार जिला स्तरीय वेट लैंड संरक्षण समिति की बैठक दिनांक 26 / 02 / 2024 को आयोजित की गयी, जिसमें समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि, भारत सरकार के राजपत्र पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 26 दिसम्बर, 2017 के आर्द्र भूमि (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम 2017 के नियम–4 में वर्णित आर्द्र भूमियों के क्रियाकलापों का निबर्धन नियम से दलसागर तालाब में प्रस्तावित फुटब्रिज निर्माण, मूर्ति स्थापना, म्यूजिकल फांउटेन लाईट एवं साउण्ड शो आदि कार्या को कराने की उक्त नियम से छूट / अनुमति प्रदान करने हेतु प्रस्ताव को राज्य सरकार / केन्द्र सरकार को प्रेषित करने की अनुशंसा की गयी है ।

अतः निवेदन है कि, राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण से उपरोक्तानुसार वर्णित कार्यो को वेट लैंड संरक्षण नियम 2017 के पैरा– 4 के शर्तो से छूट प्रदान करने एवं कार्य को कराने की अनुमति प्रदान करने हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने का कष्ट करेगें ।

संलग्न :–
1. नगर पालिका सिवनी का पत्र क्रं. / 7750 दिनांक 23 / 02 / 2024
2. प्रेसीडेन्ट इन कौसिंल का प्रस्ताव क्र.– 1 दिनांक 23 / 02 / 2024
3. जिला वेट लैंड संरक्षण समिति की बैठक दिनांक 26 / 02 / 2024 की प्रति
4. कार्यो के प्राक्कलन, मानचित्र एवं प्राप्त आवश्यक स्वीकृतियों की प्रति

(क्षितिज सिंघल)
कलेक्टर सिवनी
एवं अध्यक्ष, वेट लैंड संरक्षण समिति,
सिवनी

(का.) 07692—22044
(नि.) 07692—220301
(फैक्स) 07692—220900

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, सिवनी (म.प्र.)

सिवनी, दिनांक 28../02/2024

पृष्ठा. क्रमांक/..865...../जि.श.वि.अभि./2023—24

प्रतिलिपि :—

1. प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. आयुक्त, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
3. संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, जबलपुर संभाग, जबलपुर की ओर सूचनार्थ।

कलेक्टर सिवनी
एवं अध्यक्ष, वेट लैंड संरक्षण समिति,
सिवनी

(का.) 07692—22044
(नि.) 07692—220301
(फैक्स) 07692—220900

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, सिवनी (म.प्र.)

क्रं./461/कार्यावाही विवरण/न.पा.प./2023—24 सिवनी, दिनांक 26/02/2024

जिला वेट लैंड संरक्षण समिति बैठक दिनांक 26/02/2024 का कार्यवाही विवरण

आज दिनांक 26/02/2024 को अपरान्ह 1.30 बजे से जिला स्तर पर जलीय स्त्रोतो का संरक्षण एवं संसाधनों को संरक्षित करने की दिशा में कार्य करने हेतु गठित जिला वेट लैंड संरक्षण समिति की बैठक आयोजित की गई। जिसमें निम्नानुसार समिति के पदाधिकारी गण उपस्थित हुयें :—

1. श्री क्षितिज सिंघल — कलेक्टर, जिला सिवनी
2. श्री नवजीवन पवार — मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सिवनी
3. श्री बसंत बरखनिया (ए.एस.एल.आर.) — भू—अभिलेख शाखा, सिवनी
4. श्री एन.के. बेलवंशी, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग क्रं.—01 सिवनी — जलसंसाधन मंडल, सिवनी
5. श्री के.एल. मरावी — उपसंचालक, मत्यस्य उद्योग, सिवनी
6. डॉ. के.क़े. बरमैया — शास.पी.जी. कॉलेज, सिवनी
7. श्री मनेन्द्र सिंह हनवत, (एस.डी.ओ. फारेस्ट) श्री योगेश कुमार पटेल, (एस.डी.ओ. फारेस्ट) — वनमंडल अधिकारी, उत्तर एवं दक्षिण (सामान्य वनमंडल, सिवनी)
8. श्री सुरेश चंद नागर, — कार्यपालन यंत्री, लो.स्वा. यंत्री, सिवनी
9. सुश्री अंजु कोडापे, सहा.कृषि (प्रतिनिधी) — कृषि विभाग, सिवनी
10. श्री जयकिशन शर्मा (सब इंजीनियर एम.पी.पी.सी.बी.) — प्रदूषण बोर्ड, जबलपुर
11. प्रो. शशिकांत नाग (प्रोफेसर) — शास.पी.जी. कॉलेज, सिवनी

(का.) 07692–22044
(नि.) 07692–220301
(फैक्स) 07692–220900

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, सिवनी (म.प्र.)

विषय :– दलसागर तालाब में फुटब्रिज, मूर्ति स्थापना, म्यूजिकल फांउटेन लाईट एवं साउण्ड शो के कार्यो को कराने हेतु वेट लैंड संरक्षण नियम 2017 के पैरा–4 के शर्तो से छूट प्रदान करने एवं कार्य को कराने की अनुमति हेतु प्रस्ताव कलेक्टर महो./जिला वेट लैड संरक्षण समिति के माध्यम से राज्य/केन्द्र सरकार को भेजने के संबंध में। (न.पा.प. कार्या.पत्र क्रं./7750 दिनांक 23/02/2024 एवं पीआईसी द्वारा परित निर्णय प्रस्ताव क्रं.–01 दिनांक 23/02/2024)

समिति द्वारा पारित निर्णय :–

प्रकरण प्रस्तुत। मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, सिवनी के द्वारा समिति के पदाधिकारी गणों को बैठक में दलसागर तालाब के फुटब्रिज, मूर्ति स्थापना, म्युजिक फाउंटेन लाईट एवं साउण्ड सिस्टम शो के कार्यो को कराने की अनुमति बावत् पी.आई.सी. के प्रस्ताव क्रमांक– 1 दिनांक 23/02/2024 में पारित निर्णय की प्रति उपलब्ध कराते हुये पारित प्रस्ताव अनुसार विवरण यह है कि, "दलसागर तालाब के पूर्वी भाग में पूर्व से एक गंदे पानी की निकासी हेतु नाला निर्मित था। जिसमें शहर के पूर्वी भाग के 4 वार्डो के गंदे पानी की निकासी होती थी किन्तु रैन बसेरा से लेकर बस स्टेण्ड होते हुये सुभान बाबा की मझार तक 39 लोगों द्वारा अतिक्रमण किया गया था। अतिंक्रमण होने से नाला की सफाई न होने के कारण नाले के गंदे पानी का बहाव अवरूद्ध हो गया था। जिससे गंदे पानी की आवक दलसागर तालाब में हो रही थी। इस कारण अतिक्रमणकर्ताओं को माह मई, 2023 में नोटिस जारी कर जून, 2023 में अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही की गई। तत्पश्चात् बस स्टेण्ड के पास पूर्व निर्मित नाला जो चोक (पानी का बहाव) अवरूद्ध हो गया। उक्त पुल को तोडकर नाले का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया जो कि, वर्तमान में पूर्ण हो चुका है। गंदे पानी की निकासी दलसागर तालाब में बंद है। शहर के 4 वार्डो के गंदे पानी (सीवरेज) को डायवर्ट कर दिया गया है।

नगर पालिका के द्वारा शासन के माध्यम से प्राप्त राशि से फुटब्रिज के निर्माण का उद्देश्य यह था कि, नागरिकों को टापू में आवागमन को वहा पर स्थापित होने वाली प्रतिमा तक पहुंच सके। जिससे नागरिकों के साथ–साथ पर्यटकों का जुडाव दलसागर तालाब से हो सके। फुटब्रिज के निर्माण से दलसागर तालाब के स्वरूप में काई परिवर्तन नही किया जा रहा है। फुटब्रिज के निर्माण से तालाब की भराव क्षमता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नही पडेगा। शासन से प्राप्त राशि से ब्रिज का निर्माण कार्य लगभग 80 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। जिसमें लगभग 1.25 करोड का कार्य पूर्ण हो गया है। राजा दलपतशाह के नाम से निर्मित तालाब में राजा दलपतशाह की प्रतिमा स्थापित की जा रही है। नगर पालिका द्वारा शासन से प्राप्त राशि से अन्य सौन्दर्यीकरण के कार्य प्रस्तावित है जिसमें पर्यटकों के लिये म्यूजिकल फाउंटेन लाईट एवं साउण्ड शो का कार्य लगभग 6.50 करोड स्वीकृत है। जिसकी सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। जिसमें कार्यादेश जारी किया जाना शेष है। फुटब्रिज के निर्माण से टापू पर लोगों का आवागमन बढेगा। जिससे तालाब का सतत् पर्यवेक्षण एवं निगरानी रहेगी

(का.) 07692–22044
(नि.) 07692–220301
(फैक्स) 07692–220900

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, सिवनी (म.प्र.)

पूर्व में दलसागर तालाब में गंदे पानी की आवक होने से एवं सिल्ट जमा होने के कारण परिषद के प्रस्ताव क्रं.–03 दिनांक 28/01/2022 के द्वारा निर्णय लिया गया कि, तालाब को खाली कराकर गंदगी की सफाई एवं सिल्ट निकालने का कार्य किया जाये। नगर पालिका द्वारा वेस्टवियर से पानी निकाला गया एवं तालाब के चारों तरफ फैली गंदगी एवं सिल्ट निकालने का कार्य भी नगर पालिका द्वारा तत्समय कराया गया। वर्तमान में तालाब के कुछ भाग में घास जिसकी सफाई का कार्य निरंतर किया जा रहा है। नगर पालिका के द्वारा कोई भी कार्य व्यवसायिक गतिविधियों के उद्देश्य से नही किया गया है और न ही तालाब के स्वरूप में कोई परिवर्तन किया गया है। भविष्य में कोई भी कार्य दलसागर को क्षति पहुंचाने के उद्देश्य नही किया जावेगा। टापू के चारों ओर आकर्षक पेड–पौधे एवं फुल–फुलवारी के साथ पर्यावरण सौन्दर्यीकरण किया जावेगा। जिससे वहां पहुचने वाले पर्यटकों एवं दर्शनार्थी को प्राकृतिक पर्यावरण का लाभ प्राप्त होगा। जो जनमानस के स्वास्थ्य के लिये लाभदायक होगा।

उक्त दलसागर तालाब शहर सिवनी के हृदय स्थल पर स्थित जो शहरवासियों एवं पर्यटकों के लिये आकर्षण का केन्द्र है। वर्तमान में हो रहे निर्माण कार्य के पूर्ण होने उपरांत तालाब की सुन्दरता बढ जावेगी साथ ही तालाब के मूल–स्वरूप में कोई परिवर्तन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नही होगा।

भारत सरकार के राजपत्र पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 26 दिसम्बर, 2017 के आर्द्र भूमि (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम 2017 के नियम–4 में वर्णित आर्द्र भूमियों के क्रियाकलापों का निबर्धन नियम से दलसागर तालाब में प्रस्तावित फुटब्रिज निर्माण, मूर्ति स्थापना, म्यूजिकल फांउटेन लाईट एवं साउण्ड शो आदि कार्यो को कराने की उक्त नियम से छूट प्रदान करने हेतु प्रस्ताव को जिला स्तरीय वेट लैड संरक्षण कमेटी राज्य सरकार /केन्द्र सरकार को भेजते हुये कार्यो को कराने की सक्षम अनुमति प्रदान करने कार्यवाही हेतु भेजे जाने की अनुशंसा की जाती है। प्रस्ताव को जिला कलेक्टर के माध्यम से जिला वेट लैड संरक्षण कमेटी के माध्यम से कार्यो को कराने की अनुमति प्रदान किये जाने राज्य सरकार/केन्द्र सरकार की सक्षम प्राधिकारियों को भेजने की कार्यवाही किये जाने की अनुशंसा की जाती है। "

मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा दी गयी जानकारी के संबंध में समिति के सदस्यों द्वारा चर्चा उपरांत यह पाया गया कि, नगर पालिका की पी.आई.सी. के द्वारा पारित निर्णय से यह स्पष्ट है कि, नगर पालिका द्वारा दलसागर तालाब को क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से कार्य नहीं किया गया । मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा यह जानकारी दी गयी कि, भविष्य में तालाब के आकार एवं भराव के संबंध में नगर पालिका के प्रस्तावित उक्त कार्यो को कराने से कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ना ही जलसंरचना को कोई नुकसान होगा ।

(का.) 07692–22044
(नि.) 07692–220301
(फैक्स) 07692–220900

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, सिवनी (म.प्र.)

अतः समिति द्वारा नगर पालिका द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को सर्वसम्मति से यह निर्णय लेती है कि, भारत सरकार के राजपत्र पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 26 दिसम्बर, 2017 के आर्द्र भूमि (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम 2017 के नियम–4 में वर्णित आर्द्र भूमियों के क्रियाकलापों का निबर्धन नियम से दलसागर तालाब में प्रस्तावित फुटब्रिज निर्माण, भूर्ति स्थापना, म्यूजिकल फांउटेन लाईट एवं साउण्ड शो आदि कार्या को कराने की उक्त नियम से छूट/अनुमति प्रदान करने हेतु प्रस्ताव को राज्य सरकार/केन्द्र सरकार को प्रेषित करने की अनुशंसा करती है। समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि, प्रस्ताव से संबंधित सभी स्वीकृतियां, प्राक्कलन एवं मानचित्र की प्रति प्रकरण में संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से अनुमति प्राप्त किये जाने हेतु कार्यवाही की जावे ।

(क्षितिज सिंघल)
कलेक्टर सिवनी
एवं अध्यक्ष, वेट लैंड संरक्षण
समिति, सिवनी

कार्यालय मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, जिला–सिवनी
नगर पालिका चौराहा, एन.एच.– 7 मार्ग, जिला–सिवनी (म.प्र.) 480661
Email Id : cmoseoni@mpurban.gov.in Phone : 07692221301

पत्र क्रमांक / 7750 / कार्या.अधी. / सिवनी / 2024 सिवनी, दिनांक / 23 / 02 / 2024

प्रति,

श्रीमान कलेक्टर महोदय,
अध्यक्ष, जिला वेट लैंड संरक्षण समिति,
जिला सिवनी।

विषय :– दलसागर तालाब में फुटब्रिज, मूर्ति स्थापना, म्यूजिकल फांउटेन लाईट एवं साउण्ड शो के कार्यो को कराने हेतु वेट लैंड संरक्षण नियम 2017 के पैरा–4 के शर्तो से छूट प्रदान करने एवं कार्य को कराने की अनुमति हेतु प्रस्ताव कलेक्टर महो. / जिला वेट लैड संरक्षण समिति के माध्यम से राज्य / केन्द्र सरकार को भेजने के संबंध में।

––000––

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत, नगर पालिका परिषद, सिवनी के द्वारा प्रेसींडेट इन कांउसिल की बैठक में प्रस्ताव क्रं.–01 दिनांक 23 / 02 / 2024 में लिये गये निर्णय अनुसार भारत सरकार के राजपत्र पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 26 दिसम्बर, 2017 के आर्द्र भूमि (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम 2017 के नियम–4 में वर्णित आर्द्र भूमियों के क्रियाकलापों का निबर्धन नियम से दलसागर तालाब में प्रस्तावित फुटब्रिज निर्माण, मूर्ति स्थापना, म्यूजिकल फांउटेन लाईट एवं साउण्ड शो आदि कार्या को कराने की उक्त नियम से छूट प्रदान करने हेतु प्रस्ताव को जिला स्तरीयं वेट लैड संरक्षण कमेटी राज्य सरकार / केन्द्र सरकार को भेजते हुये कार्यो को कराने की सक्षम अनुमति प्रदान करने की कार्यवाही हेतु भेजे जाने की अनुशंसा की गई है। प्रस्ताव को जिला कलेक्टर के माध्यम से जिला वेट लैंड संरक्षण कमेटी के माध्यम से कार्यो को कराने की अनुमति प्रदान किये जाने राज्य सरकार / केन्द्र सरकार की सक्षम प्राधिकारियों को भेजने की कार्यवाही किये जाने की अनुशंसा की गई है।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि, पारित प्रस्ताव अनुसार कार्यवाही किये जाने का कष्ट करे।

संलग्न :– 1. प्रस्ताव की प्रति ।
2. संबंधित कार्यो की डीपीआर।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद, सिवनी

पृष्ठा. क्रमांक / 7750(A) / कार्या.अधी. / सिवनी / 2024 सिवनी, दिनांक / 23 / 02 / 2024

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त महोदय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।
2. संयुक्त संचालक महोदय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, जबलपुर संभाग, जबलपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद, सिवनी

कार्यालय मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, जिला–सिवनी
नगर पालिका चौराहा, एन.एच.7 मार्ग, जिला–सिवनी (म.प्र.) 480661
Email Id : cmoseoni@mpurban.gov.in
Phone : 07692-292301

प्रेसिंडेट इन कांउसिल की बैठक दिनांक 23/02/2024 के प्रस्ताव क्रं.–01 की खण्ड सत्य प्रतिलिपी

प्रस्ताव क्रं. :– 01	निर्णय
दलसागर तालाब में फ्रुटब्रिज, मूर्ति स्थापना, म्यूजिकल फांउटेन लाईट एवं साउण्ड शो के कार्यो को कराने हेतु वेट लैड संरक्षण नियम 2017 के पैरा–4 के शर्तो से छूट प्रदान करने एवं कार्य को कराने की अनुमति हेतु प्रस्ताव कलेक्टर महो. /जिला वेट लैड संरक्षण समिति के माध्यम से राज्य/केन्द्र सरकार को भेजने के संबंध में विचार एवं निर्णय।	दलसागर तालाब के पूर्वी भाग में पूर्व से एक गंदे पानी की निकासी हेतु नाला निर्मित था। जिसमें शहर के पूर्वी भाग के 4 वार्डो के गंदे पानी की निकासी होती थी किन्तु रैन बसेरा से लेकर बस स्टेण्ड होते हुये सुभान बाबा की मझार तक 39 लोगों द्वारा अतिक्रमण किया गया था। अतिक्रमण होने से नाला की सफाई न होने के कारण नाले के गंदे पानी का बहाव अवरूद्ध हो गया था। जिससे गंदे पानी की आवक दलसागर तालाब में हो रही थी। इस कारण अतिक्रमणकर्ताओं को माह मई, 2023 में नोटिस जारी कर जून, 2023 में अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही की गई। तत्पश्चात् बस स्टेण्ड के पास पूर्व निर्मित नाला जो चोक (पानी का बहाव) अवरूद्ध हो गया। उक्त पुल को तोडकर नाले का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया जो कि, वर्तमान में पूर्ण हो चुका है। गंदे पानी की निकासी दलसागर तालाब में बंद है। शहर के 4 वार्डो के गंदे पानी (सीवरेज) को डायवर्ट कर दिया गया है। नगर पालिका के द्वारा शासन के माध्यम से प्राप्त राशि से फ्रुटब्रिज के निर्माण का उद्देश्य यह था कि, नागरिकों को टापू में आवागमन को वहा पर स्थापित होने वाली प्रतिमा तक पहुंच सके। जिससे नागरिकों के साथ–साथ पर्यटकों का जुडाव दलसागर तालाब से हो सके। फ्रुटब्रिज के निर्माण से दलसागर तालाब के स्वरूप में काई परिवर्तन नही. किया जा रहा है। फ्रुटब्रिज के निर्माण से तालाब की भराव क्षमता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नही पडेगा। शासन से प्राप्त राशि से ब्रिज का निर्माण कार्य लगभग 80 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। जिसमें लगभग 1.25 करोड का कार्य पूर्ण हो गया है। राजा दलपतशाह के नाम से निर्मित तालाब में राजा दलपतशाह की प्रतिमा स्थापित की जा रही है। नगर पालिका द्वारा शासन से प्राप्त राशि से अन्य सौन्दर्यीकरण के कार्य प्रस्तावित है जिसमें पर्यटकों के लिये म्यूजिकल फांउटेन लाईट एवं साउण्ड शो का कार्य लगभग 6.50 करोड स्वीकृत है। जिसकी सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। जिसमें कार्यादेश जारी किया जाना शेष है। फ्रुटब्रिज के निर्माण से टापू पर लोगों का आवागमन बढेगा। जिससे तालाब का सतत् पर्यवेक्षण एवं निगरानी रहेगी। पूर्व में दलसागर तालाब में गंदे पानी की आवक होने से एवं सिल्ट जमा होने के कारण परिषद के प्रस्ताव क्रं.–03 दिनांक 28/01/2022 के द्वारा निर्णय लिया गया कि, तालाब को खाली कराकर गंदगी की सफाई एवं सिल्ट निकालने का कार्य किया जाये। नगर पालिका द्वारा वेस्टवियर से पानी निकाला गया एवं तालाब के चारों तरफ फैली गंदगी एवं सिल्ट निकालने का कार्य भी नगर

कार्यालय मुख्य नगर पालिका ...कारी, नगर पालिका परिषद, जिला–सिवनी
नगर पालिका चौराहा, एन.एच.7 मार्ग, जिला–सिवनी (म.प्र.) 480661
Email Id : cmoseoni@mpurban.gov.in
Phone : 07692-292301

	पालिका द्वारा तत्समय कराया गया। वर्तमान में तालाब के कुछ भाग में घास जिसकी सफाई का कार्य निरंतर किया जा रहा है। नगर पालिका के द्वारा कोई भी कार्य व्यवसायिक गतिविधियों के उद्देश्य से नही किया गया है और न ही तालाब के स्वरूप में कोई परिवर्तन किया गया है। भविष्य में कोई भी कार्य दलसागर को क्षति पहुंचाने के उद्देश्य नही किया जावेगा। टापू के चारों ओर आकर्षक पेड–पौधे एवं फुल–फुलवारी के साथ पर्यावरण सौन्दर्यीकरण किया जावेगा। जिससे वहां पहुचने वाले पर्यटकों एवं दर्शनार्थी को प्राकृतिक पर्यावरण का लाभ प्राप्त होगा। जो जनमानस के स्वास्थ्य के लिये लाभदायक होगा। उक्त दलसागर तालाब शहर सिवनी के हृदय स्थल पर स्थित जो शहरवासियों एवं पर्यटकों के लिये आकर्षण का केन्द्र है। वर्तमान में हो रहे निर्माण कार्य के पूर्ण होने उपरांत तालाब की सुन्दरता बढ जावेगी साथ ही तालाब के मूल–स्वरूप में कोई परिवर्तन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नही होगा। भारत सरकार के राजपत्र पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 26 दिसम्बर, 2017 के आर्द्र भूमि (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम 2017 के नियम–4 में वर्णित आर्द्र भूमियों के क्रियाकलापों का निबर्धन नियम से दलसागर तालाब में प्रस्तावित फुटब्रिज निर्माण, मूर्ति स्थापना, म्यूजिकल फांउटेन लाईट एवं साउण्ड शो आदि कार्या को कराने की उक्त नियम से छूट प्रदान करने हेतु प्रस्ताव को जिला स्तरीय वेट लैड संरक्षण कमेटी राज्य सरकार /केन्द्र सरकार को भेजते हुये कार्यो को कराने की सक्षम अनुमति प्रदान करने कार्यवाही हेतु भेजे जाने की अनुशंसा की जाती है। प्रस्ताव को जिला कलेक्टर के माध्यम से जिला वेट लैड संरक्षण कमेटी के माध्यम से कार्यो को कराने की अनुमति प्रदान किये जाने राज्य सरकार/केन्द्र सरकार की सक्षम प्राधिकारियों को भेजने की कार्यवाही किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

सही/–
सचिव/मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद, सिवनी

सही/–
अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद, सिवनी

सत्य प्रतिलिपि

मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर पालिका परिषद, सिवनी